कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION
P.W.D BHATWARI (UTTARKASHI) PIN- 249135

E.Mail-eepwdbhatwari @rediffmail.com   Fax No-01374-244321

पत्रांक 1100/ 3-अ0का0   दिनांक 08/07/2022

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय :- विषय :- जनपद उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाड़ी में गल्डियाना लम्बगांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर–सिल्याण–निराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण (Online No. FP/UK/ROAD/49632/2020)

सन्दर्भ :- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक–8बी0/यू0सी0पी0/06/57/2021/एफ0सी0/352 दि0 13.07.2020

महोदय,

विषयक मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुई है। स्वीकृति की शर्तानुसार विभिन्न धनराशि जमा करने व विभिन्न शर्तो का अनुपालन करने के उपरान्त अनुपालन आख्या निम्न लिखित है :-

Sn.	Conditions	Compliances
1-	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेग।
3-	प्रतिपूरक वनीकरण :- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.25 सिविल सोयम भूमि ग्राम गोरसाड़ा खसरा सं0 1961 रकवा 2.230 है0 तथा ग्राम मट्टी खसरा सं0 3285 रकवा 2.21 है0 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 4.25 है0 गैरवानिकी भूमि के सापेक्ष ग्राम मट्टी मे खसरा सं0–3285 रकवा 2.098 है0 तथा ग्राम गोरसाड़ा में खसरा नं0 1961 रकवा 1.991 है0 भूमि एवं ग्राम मट्टी में खसरा नं0 3284 म0 रकवा 0.173 है0 भूमि, प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रु0 15,76,334.00 धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के खाता सं0–150896149832075 यूनियन बैंक, लोदी कॉम्पलैक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते मे जमा कर दी गयी है। (जमा ई–चालान की छाया प्रति संलग्न)।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रुपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(ख) इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के आदेश सं0–5050/ग्यारह–विविध/2020–21 दि0 11/05/2022 द्वारा हस्तान्तरित किया जा चुका है। (खतोनी की नकल मूल में संलग्न है)।
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	(ग) पार्श्व शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा किया जाना है।
4-	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तमन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	पार्श्व शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा रु0 14,14,500.00 की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को ई–चालान द्वारा दि0 25/10/2021 को भुगतान कर दिया गया है। (ई–चालान की छाया प्रति संलग्न)।
5-	शुद्ध वर्तमान मूल्य :- (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 मे IA नंबर 556 दि0 30.10.2002, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998–एफ0सी0 (pt. 2) दि0 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दि0 3.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.125 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 2.125 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्रांक–327/12–1, कोटबंगला दि0 27/07/2021 द्वारा सूचित शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत रु0 13,96,125.00 की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के खाता सं0–150896149832075 यूनियन बैंक, लोदी कॉम्पलैक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते मे जमा कर दी गयी है। (जमा ई– चालान की छाया प्रति संलग्न)।

प्रेषण लिपिक
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्राप्त किया गया
08/07/22

	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रुप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	पार्श्व शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 102, Sapling तथा 278 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	पार्श्व शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	पार्श्व शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा किया जाना है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/)के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किया जायेगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुपालन हेतु एफ0 आर0 ए0 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को रज्यीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक इंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लगात पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	पार्श्व शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा रु0 14,14,500.00 की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को ई–चालान द्वारा दि0 25/10/2021 को भुगतान कर दिया गया है। (ई–चालान की छाया प्रति संलग्न)।
16	परियोजना कार्य के लिये निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी काम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रसवित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तातरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दि0 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जायेगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुपालन में अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आवश्यक प्रपत्रों/अभिलेखों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पर अपनी संस्तुति उपरान्त नोडल कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– 1. जिलाधिकारी का आदेश, मूल खतोनी व सजरा सहित (मूल में)।
2. एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का चालान की छाया प्रति।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो का प्रमाण पत्र मूल में।

भवदीय

8/7/2022

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– अपर मुख्य वन संरक्षक नोडल कार्यालय भूमि संरक्षण निदेशालय इन्दिरानगर देहरादून। (ई–मेल द्वारा)
2:– जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
3:– अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो0नि0वि0,उत्तरकाशी।
4:– वन संरक्षक,भागीरथी वृत्त,मुनि की रेति,ऋशिकेष। (ई–मेल द्वारा)
5:– सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,भटवाड़ी।

8/7/2022

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी।